



भारत सरकार **Government of India**
रेल मंत्रालय **Ministry of Railways**
(रेलवे बोर्ड) **Railway Board**

Office Order No. 21 of 2021

Sub: Reporting of Officials in Board's Office during COVID-19

Ref: Office Order No. 09 of 2021

To prevent the spread of COVID in Office, taking into account the surge of COVID positive cases in Delhi and NCR, it has been decided that all AMs and PEDs shall review and restrict the attendance of employees working under their control as per their judgement so as to ensure adequate distancing and adherence of COVID prevention measures issued by MHA and M/o Health & Family Welfare without in any way affecting the work in Office. *In other words, only bare minimum Officers/Staff as required may be called to Office with staggered timings as per functional requirement.*

2. While no cap is being put to calling of Officials to Office at a time, the important consideration is safety, social distancing and completion of all the work in Office.

2.1 Officials not reporting to office as per roster or residing at containment zone or not reporting to office because of COVID positive patient sharing the residence are to be available on telephone and other electronics means of communication at all times.

2.2 A copy of the roster of the Official as approved by AM/PEDs (independent EDs/DIR reporting directly to Board) may be shared with vibhuti.singh@gov.in for information. Physical attendance register may be maintained by each unit and monitored by Senior Officers as biometric attendance would continue to be suspended.

2.3 This arrangement shall continue till 30th April 2021 and will be reviewed thereafter.

2.4 Further, all employees of the age of 45 and above may invariably get themselves vaccinated.

3. In addition, other instructions in respect of COVID prevention measures as issued from time to time viz use of face-cover/mask at all times, frequent hand washing/sanitization, maintaining proper physical distancing in sections/office room even in corridors, restriction in entry of visitors, meeting as far as possible through VC, avoiding group lunch, etc as contained in SOP issued by M/o Health & Family Welfare dated 13.2.2021 be strictly followed.

4. Cooperation of all is solicited in this regard.

ENo. 2021/O&M/9/1
Dated:12.04.2021


(B Majumdar)
Joint Secretary/Railway Board
buddhadev.majumdar@gov.in

All Officers and Staff of Board's Office and at Dayabasti, New Delhi.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

2021 का कार्यालय आदेश सं. 21

विषय: कोविड-19 के दौरान बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की रिपोर्टिंग

संदर्भ: 2021 का कार्यालय आदेश सं. 09

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड पॉज़िटिव के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कार्यालय में कोविड को फैलने से रोकने के लिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सभी अपर सदस्य और प्रधान कार्यपालक निदेशक अपने निर्णयानुसार अपने नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा करेंगे और उनकी संख्या सीमित करेंगे ताकि कार्यालय में कार्य को बाधित किए बिना पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जा सके और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड रोकथाम के उपायों का पालन किया जा सके। *दूसरे शब्दों में, कार्यात्मक आवश्यकतानुसार जहां तक हो सके कम-से-कम अधिकारियों/ कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर कार्यालय बुलाया जाए।*

2. हालांकि, अधिकारियों/कर्मचारियों को एक समय में कार्यालय बुलाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है, परंतु सुरक्षा, सामाजिक दूरी और कार्यालय के सभी कार्यों को पूरा करना महत्वपूर्ण विषय है।

2.1 जो अधिकारी/कर्मचारी रोस्टर के अनुसार कार्यालय में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं अथवा कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे हैं अथवा घर में कोविड पॉज़िटिव मरीज़ के साथ रहने के कारण कार्यालय में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें हर समय टेलीफोन और संचार के अन्य माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा।

2.2 अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक (सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करने वाले स्वतंत्र कार्यपालक निदेशक/ निदेशक) द्वारा यथा अनुमोदित अधिकारियों/कर्मचारियों के रोस्टर की एक प्रतिलिपि vibhuti.singh@gov.in को सूचनार्थ भेजी जाए। प्रत्येक इकाई द्वारा वास्तविक उपस्थिति पंजिका रखी जाए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी निगरानी की जाए क्योंकि बायोमेट्रिक उपस्थिति को अभी लंबित रखा जाएगा।

2.3 यह व्यवस्था 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगी और उसके पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी।

2.4 इसके अलावा, 45 वर्ष और उसके ऊपर की आयु वाले सभी कर्मचारी निरपवाद रूप से अपना टीकाकरण करवाएँ।

3. इसके अतिरिक्त, कोविड के रोकथाम के उपायों से संबंधित समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों यथा हर समय फ़ेस कवर/मास्क का प्रयोग, बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइज़ेशन, अनुभागों/कार्यालय कक्ष और गलियारों में भी उचित शारीरिक दूरी बनाए रखना, आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, जहां तक संभव हो, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों को आयोजित करना, समूह में बैठकर भोजन न करना आदि जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13.2.2021 के मानक प्रचालन पद्धति में दिया गया है, का कड़ाई से पालन किया जाए।

4. इस संबंध में सभी का सहयोग अपेक्षित है।

ई सं. 2021/ओ एंड एम/9/1
दिनांक: 12.04.2021

बी. मजुमदार
(बी मजुमदार)
संयुक्त सचिव/रिजवे बोर्ड
buddhadev.majumdar@gov.in

बोर्ड कार्यालय और दयाबस्ती, नई दिल्ली में स्थित सभी अधिकारी और कर्मचारी।